

राजस्थान सरकार

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला-जोधपुर

क्रमांक / कोर्ट / 2022 / 52

दिनांक :- 12/01/22

प्रेषित:- श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय,  
जोधपुर।

विषय:- अपील संख्या 144/2021 अनवान भगवानराम बनाम गुलकी तारीख  
पेशी 10.02.2022 से संबंधित पत्रावली प्रेषित करने हेतु।

प्रसंग :- श्रीमान् का पत्रांक RAA/2022/61 दिनांक 07.01.2022  
महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सादर निवेदन है कि श्रीमान् के न्यायालय में विचाराधीन अपील संख्या 144/2021 अनवान भगवानराम बनाम गुलकी तारीख पेशी दिनांक 10.02.2022 से संबंधित पत्रावली चाही गयी जो इस न्यायालय की पत्रावली संख्या 15/2011 अनवान रामनिवास बनाम गुलकी निर्णय दिनांक 05.08.2019 व 13.01.2020 की मूल ही पत्रावली श्रीमान् की सेवा में इस पत्र के साथ सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार मूल पत्रावली पृष्ठ संख्या 01 से 94।

Received for registered post

Rdhatta  
14/01/2022

*(Signature)*  
12/01/22  
उपखण्ड अधिकारी  
भोपालगढ़  
जिला-जोधपुर



दस्ती

रीडर  
11/11/22

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

क्रमांक/2022/ 61

दिनांक 11/11/22

प्रेषित: - सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

गोपालगढ़

शम्भानराम बनाम शुक्ली

मुकदमा नं. 144 सन्. 21 धारा 223 आर.टी.एक्ट



कृपया निम्नलिखित मिसल इस अदालत में भेजे। मेरे विचार में असल मिसल मंगाई जाना वास्तव में आवश्यक है। ++ मिसल आलेख 10/21 सन्. 2022 जो कि आगामी तारीख पेशी है, के अन्दर इस अदालत में भेजी जानी चाहिए

नोट: -फरीकेन की इस्तदुआ पर असल मिसल नहीं माँगनी चाहिए, यदि असदिका नकल लोकजात को दिया साबित करने के लिए मिसल की जरूरत है, साबित के लिए काबिल असल शहादत हो।

मिसल को तलब की जाय उसका विवरण

किस अदालत को	किस्म मुकदमा, नंबर व साल	अनुवान	तारीख फैसला	कैफियत
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गोपालगढ़	15/2011	शम्भानराम बनाम शुक्ली	5/8/19 व 13/1/20	अति आवश्यक

आज्ञा से

रीडर  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर